

राजस्थान सरकार  
आयोजना विभाग

क्रमांक-एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/

दिनांक: 06.02.2017

अधिसूचना

आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 18) की धारा 7 सपष्टित आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा नीचे सारणी में वर्णित जन कल्याण के लाभ की योजनाओं के लिए भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभ हस्तान्तरण के लिए आधार अधिप्रमाणन करवाने अथवा आधार संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिये निम्नानुसार अधिसूचित करती है कि,-

1. भामाशाह प्लेटफॉर्म से वितरित किए जा रहे नकद व गैर नकद लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को आधार सत्यापन तंत्र के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करवानी होगी।
2. यदि किसी लाभार्थी द्वारा आधार पंजीयन नहीं करवाया है तो उसे राज्य सरकार द्वारा सत्यापित नजदीकी स्थाई आधार नामांकन केन्द्र पर जा कर आधार पंजीकरण करवाना होगा।
3. ऐसा लाभार्थी जिसके पास आधार संख्या उपलब्ध नहीं है तथा उसने अभी आधार पंजीयन कराया है लेकिन आधार संख्या प्राप्त नहीं हुई है उसके लिए राजकीय लाभ तथा सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पहचान के निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज के साथ आधार पंजीयन रसीद प्रस्तुत करनी होगी:-

(i)	पासपोर्ट	(vi)	किसान क्रेडिट कार्ड पासबुक
(ii)	राशनकार्ड	(vii)	स्वतंत्रता सेनानी का फोटो कार्ड
(iii)	मतदान पहचान पत्र	(viii)	राज्य सरकार द्वारा जारी विशेष योग्यजन पहचान पत्र
(iv)	ड्राइविंग लाईसेन्स	(ix)	राज्य/केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड का प्रमाण पत्र
(v)	नरेगा जॉबकार्ड		

३०१

